न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 446/2021
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कुलवीर सिंह पुत्र संसार सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी हाल गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज.) वादी

बनाम

1. संसार सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरवीर सिंह पुत्र संसार सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया प्रतिवादीगणः

उपस्थित :—
1— श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी
2— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — वकील प्रति सं. 1 ता 2

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 15 एम.जे.डी. खाता सं. 120/101 में 2.081है. व प्रतिवादी सं. 2 के नाम चक नं. 15 एम.जे.डी. खाता सं. 117/103 में 1.012है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी हमराह दावा प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता द्वारा चक 15 एम.जे.डी. में 3.093 है. कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई थी जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 ने चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 117/103 में 1.012है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम करवा दी। उक्त समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है इसलिए विरासतन कृषि भूमि है जिस पर वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। वादी को उक्त समस्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा विरासतन हक हिस्सा बनता है। वादी अपना विरासतन हक हिस्सा प्राप्त करने का मुस्तहक एवं दावेदार है। अब प्रतिवादी सं. 1 चक नं. 15 एम.जे.डी. खाता सं. 120/101 में दर्ज 2.081है. कृषि भूमि को व प्रतिवादी सं. 2 अपने नाम दर्ज चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 117/103 में दर्ज 1.012है. कृषि भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों का बैय करने पर आमदा है व वादी उक्त कृषि भूमि में से अपना विरासतन 1/3 हिस्सा का हकदार एवं दावेदार है व प्रतिवादी सं. 1 व 2 उक्त कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को बैय कर देते है तो वादी का विरासतन हक हिस्सा समाप्त हो जावेगा। अतः वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादी का हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के पास सुरक्षित नहीं है इसलिए वादी उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णितानुसार घोषणा करवाकर का मुस्तहक एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि विरासतन कृषि भूमि में उसका हिस्सा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा देंवे लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया एवं कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को बैय करने पर आमदा हो गए है, बस यही बिनाय दावा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिहाजा वाद वादी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादी को चक नं. 15 एम.जे.डी. खाता सं. 120/101 में दर्ज 2.081है. कृषि भूमि में 1.017 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कुलवीर सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 15 एमजेडी खाता संख्या 120/101,112, की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 करवाई है, जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 15 एमजेडी खाता संख्या 120/101 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में 2.081 हैक्ट. कृषि भूमि संसार सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 15 एमजेडी की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 1 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 संसार सिह के पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी 1 ता 2 ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 संसार सिह के नाम चक नं. 15 एमजेडी खाता सं. 120/101 जं.सं. 2073–2076 में दर्ज 2.081 है. कृषि भूमि मे से 1.017 है. भूमि का वादी कुलवीर सिह पुत्र संसार सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 संसार सिह का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10/04/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 446/2021

कुलवीर सिंह पुत्र संसार सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी हाल गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज.)

वादी

बनाम

1. संसार सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरवीर सिंह पुत्र संसार सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 2 श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 संसार सिह के नाम चक नं. 15 एमजेडी खाता सं. 120/101 जं.सं. 2073–2076 में दर्ज 2.081 है. कृषि भूमि मे से 1.017 है. भूमि का वादी कुलवीर सिह पुत्र संसार सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 संसार सिह का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज..×...नल....×.....मुब्लिक...×.....निल....×.....बाबत्..×...निल....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10/04/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया